जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
08/2015

मुन्तकिली प्रकरण सं0 8/2015 अनवानी 1-जानीदेवी पत्नि हेतराम 2-सुलोचना पुत्री हेतराम 3- माया देवी पुत्री हेतराम जाति मेघवाल नि0 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जरिये मु0 आम श्योपतराम पुत्र हेतराम जाति मेघवाल नि0 58 एनपी तहसील रायसिंहनगर बनाम भजनलाल पुत्र केसराराम जाति मेघवाल निवासी 58 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.06.2016

प्रार्थीगण के मुखत्यार आम श्योपतराम के अभिभाषक श्री जगमोहन आहूजा उपस्थित है। अप्रार्थी उपस्थित नही है। प्रार्थीगण के मु0 आम श्योपतराम के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के मु0 आम श्योपतराम ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में लंबित अनवानी प्रकरण भजनलाल बनाम जानीदेवी आदि अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है और खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1210
4-7-16

यह आदेश आज दिनांक 29.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर